राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

एफ 13 (3) ( )ब.घो.17-18/सहा.राशि/सान्याअवि/17/22164 जयपुर, दिनांकः 23-3-18

आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2017-18 में की गई बजट घोषणा संख्या 155 की क्रियान्विति हेतु विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के मूल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित All India Services (IAS, IPS, IFS) में, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में अन्तिम रूप चयन होने तथा योजना में सूचीबद्ध IIT, IIM, AIIMS, NLU एवं IISc मे प्रवेश पाने वाले मेघावी अभ्यार्थियों को एक मुश्त सहायता राशि दिए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र वैबसाईट sso.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये जा रहे है। **उक्त योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी 2018 निर्धारित की गई थी। योजनान्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त तिथि को 24 मार्च से 26 मार्च 2018 तक पुनः बढाई जाती है।**

उक्त योजनान्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि दी जावेगीः-

- All India Services (IAS, IPS, IFS) में चयन होने के उपरान्त वरीयताक्रम में आने वाले राजस्थान के प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जायेगी।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में चयन होने के उपरान्त सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आये प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी।
- प्रतिवर्ष IIT, IIM, AIIMS, NLU, IISc में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 25 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेगें।

योजना की पात्रता/दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

एफ 13 (3) ( )ब.घो.17-18/सहा.राशि/सान्याअवि/17/22165-67 जयपुर, दिनांकः 23-3-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थानज जयपुर।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैससाईट पर अपलोड करवाते हुए दिनांक 24 मार्च से 26 मार्च 2018 तक पोर्टल पुनः ओपन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अन्तिम तिथि को बढाया जाकर 26 मार्च 2018 की गई है, का प्रेस नोट समाचार पत्रों में जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव